A3/1

06/2017
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 6/2017 अनवानी श्री कालूराम पुत्र श्री बालूराम जाति जाट निवासी 10 केआरडबल्यू तह0 सादुलशहर बनाम तहसीलदार (भू.अ.) सादुलशहर

11–02–2017

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। अपीलार्थी श्री कालूराम व उसके अभिभाषक श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी व उनके अभिभाषक की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी एवं उसके अभिभाषक का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 05.12.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.) सादुलशहर से 8 बिन्दुओ की सूचनाएं चाही गई थी जो उनके द्वारा जानबूझकर उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री कालूराम ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदनपत्र दिनांक 05.12.2016 के द्वारा निम्न सूचनाएं लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.) सादुलशहर से चाही थी:–

Web Copy - Not Official

1– गांव करडवाला तहसील सादुलशहर दिनांक 9/9/ वार शुक्रवार को सीमाज्ञान कार्य के लिए गौरव पथ योजना के अन्तर्गत सडक बनाने हेतु प्रथम निशान व दूसरा निशान जिस कृषि भूमि के मालिक व काश्तकार की भूमि से जो भूमि अवाप्त की है उसकी सूचना व नियमों की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2– यह सडक जिस अधिकारी के आदेश की पालना में बनायी गयी है आदेश की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
3– सड़क बनाने से पूर्व जिन मालिको की भूमि सडक निर्माण हेतू अवाप्त की गयी है उन्हें इस संबंध में सूचना या नोटिस जो दिया गया है उसकी सूचना व नोटिस की प्रमाणित प्रतिलिपि।
4– सूचना न दिये जाने के आधार की नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।
5– सडक निर्माण कमेटी में गठित अधिकारियों व व्यक्तियों का नाम व पद की सूचना।
6– जिन व्यक्तियों की उपस्थिति में सडक निर्माण प्रारम्भ किया गया है उनके नाम व पते की सूचना।
7– दिनांक 09–09–2016 के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि।
8– दिनांक 20.06.16 के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी के अपील पत्र एवं आवेदन पत्र की प्रतियां पत्र सं0 139 दिनांक 17.01.17 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार (भू.अ.) सादुलशहर को प्रेषित कर उनकी टिप्पणी एवं रिकार्ड मांगा गया किन्तु उनके द्वारा रिकार्ड एवं अपनी टिप्पणी प्रस्तुत नही की गयी है और न ही तारीख पेशीयों पर सुनवाई के लिए उपस्थित आये है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

PTO

A3/2 06/2017
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगे जाने वाली सूचना स्पष्ट होनी चाहिए और किसी निश्चित अभिलेख की होनी चाहिए और जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** किन्तु लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सादुलशहर द्वारा अपीलार्थी के प्रा0 पत्र उसे कोई उत्तर दिया जाना प्रतीत नही होता है। जबकि एक माह के अन्दर दिया जाना चाहिए था। इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सादुलशहर को निर्देशि दिया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानो को ध्यान में रखतें हुए अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांओ के संबंध में आदेश प्राप्ति से 7 दिन के भीतर अपीलार्थी के आवेदन पत्र का नियमानुसार निर्णय किया जावे। भविष्य में ऐसे प्रार्थना पत्र का निर्धारित अवधि में ही निस्तारण किया जाना चाहिए। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सादुलशहर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर